जयपुर के रत्न उद्योग में बालश्रम – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अनिता तम्बोली
व्याख्याता,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

बाल–श्रम एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है। अतः भारतीय सामाजिक–आर्थिक संरचना तथा परिवेश में मानवीय घटक को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम पर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध में विशेष रूप से जयपुर के रत्न उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की स्थिति का सामाजिक, आर्थिक अध्ययन किया गया है। जयपुर का रत्न उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, परन्तु इसके पीछे उन छोटे–छोटे बच्चों के शोषण की कहानी भी है, जो कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा के कारण कम आयु में ही इस उद्योग में काम करने के लिए मजबूर हैं। हालाँकि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है कि ये बच्चे अपने परम्परागत व्यवसाय में बचपन से ही कौशल (Skill) प्राप्त कर लेते हैं तथा माता–पिता तथा परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करते हैं। श्रम बुरा नहीं होता है, बुरा है श्रम का शोषण। असीमित कार्य बोझ और ऐसे कार्य, जो उन्हें शिक्षा से वंचित करते हो, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक हो, सही नहीं है। ऐसा बाल श्रम जो उन्हें अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करता हो, सीमित हो, स्कूल शिक्षा व खेलकूद के आड़े न आता हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी।

मुख्य शब्द : बालश्रम, बालश्रमिक, घाट (Shapping), जिलाह(Policing), बिन्दाई (Drilling), छँटाई(Sorting)

प्रस्तावना

प्रत्येक बच्चा सृष्टि की सबसे सुन्दर एवं उत्कृष्ट रचना है। बालपन मनुष्य के जीवन के क्रमगत विकास एवं उन्नति की अवस्था होती है तथा यह मानव विकास की सर्वाधिक सुकुमार विकासात्मक तथा अतिसंवेदनशील अवस्था होती है। बच्चे घर, समुदाय एवं समाज में फूल की तरह कोमल है तथा माता–पिता के प्यार, देखरेख और दुलार तथा समुदाय एवं समाज के संरक्षण के हकदार है। बच्चों के विकास की सर्वाधिक सुकुमार अवस्था में उनसे काम करवाने का न तो माता–पिता को और न ही नियोक्ताओं को कोई नैतिक अधिकार प्राप्त है।

किसी भी प्रजातन्त्र की रक्षा व सफलता के लिए राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के उम्र के प्रत्येक बालक–बालिका को अनिवार्यतः विद्यालयों में प्रवेश दें और इस उम्र में उनकी शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन एवं सर्वांगीण विकास का प्रभावकारी प्रयास करें, जिससे वे सफल नागरिक बन सकें।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की है और भारतीय संविधान में भी इस विषयक लम्बे–चौड़े प्रण किये गये है। बच्चों को काम पर नहीं लगाने के विषय में भी ढेरों कानून बने हुए हो, परन्तु इन सबकी भी वही दुर्दशा हुई है जो कि"बाल विवाह निरोधक" कानून की हुई है और लाखों की संख्या में बाल–श्रमिक संगठित एवं असंगठित उपक्रमों में कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश उपेक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित हैं और कई नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर है।

भारतीय संविधान के अनुसार

"वह व्यक्ति, जो 14 वर्ष से कम आयु का है और पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, बाल मजदूर कहलाएगा।"

भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 तथा खदान अधिनियम 1952 के अनुसार

"जिस व्यक्ति ने अपनी आयु का पन्द्रहवाँ वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, उसे बालक कहा जावेगा।"

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. वी.वी. गिरी ने बाल श्रमिक को दो अर्थों में परिभाषित किया है– प्रथम–एक आर्थिक क्रिया के रूप में – एक बालक का अपने परिवार की आय में सहयोग के लिए लाभप्रद व्यवसाय में काम करना बाल श्रम कहलाता है। द्वितीय–एक सामाजिक बुराई के रूप में– बाल श्रम से आशय एक बालक को खतरे की ओर ले जाना है, अर्थात् उसके विकास के अवसरों को नकारना है।"

तथापि बाल मजदूरी से बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास के अवसर नहीं मिलते हैं औरनतीजा यह होता है कि उनके जीवन के विभिन्न अवसर कम हो जाते हैं। घरेलू कामों में लगे बच्चों को और उन बच्चों को जो अपने माता–पिता की खेती–बाड़ी या घर–बाहर के कामों में मदद करते हो, कोई मजदूरी नहीं मिलती, परन्तु उनके काम से उनकी बचपन की गतिविधियों जैसे– शिक्षा और मनोरंजन में बाधा जरूर पड़ती है। अतः बाल श्रमिक शब्द की परिभाषा करते समय वेतन पाने वाले और न पाने वाले दोनों कामों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार 'बाल श्रम' की अवधारणा केवल उन्हीं बच्चों पर लागू नहीं होती है, जो कि औद्योगिक इकाईयों में कार्य करते हो, बल्कि सभी प्रकार के व्यवसायों में, परिवार के भीतर या बाहर रहकर, जिनमें बच्चें कार्य करते हो, लागू होती है, जो कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए बाधक है।

भारत में असंगठित उद्योगों में बालश्रम

भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने के सबसे बुरे दोष अनियंत्रित कारखानों एवं उद्योगों में पाये जाते है। इन उद्योगों में प्रमुख है– बीड़ी बनाना, चमड़ा रंगना, अभ्रक कूटना, कालीन बुनना, काँच की चूड़ियाँ बनाना, दियासलाई बनाना, तालें बनाना, रत्न व्यवसाय आदि। निम्न तालिका भारत में कुछ प्रमुख असंगठित उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या को बताती है।

क्र.सं	उद्योग	स्थान	बाल श्रमिकों की बाल श्रमिकों की
1	दियासलाई एवं आतिशबाजी	शिवाकाशी(तमिलनाडू)	50000
2	पत्थर खदान	केरल	20000
3	लीड खदान	मेघालय	28000
4	मछली उद्योग	केरल	20000
5	हैण्डलूम उद्योग	त्रिवेन्द्रम (केरल)	10000
		त्रिपुर	8000
		भिवंडी (महाराष्ट्र)	15000
6	बीड़ी उद्योग	त्रिचनापल्ली (तमिलनाडू)	7000
7	ताला उद्योग	अलीगढ़ (यू.पी.)	10000
8	हैण्डीक्राफ्ट्स	जम्मू कश्मीर	27000
9	गलीचा उद्योग	काश्मीर	150000
		वाराणसी	140000
		राजस्थान	30000
10	काँच उद्योग	फिरोजाबाद (यू.पी.)	50000
11	रत्न उद्योग	जयपुर (राजस्थान)	13000
12	नारियल उद्योग	केरल	80000
13	चीनी, मिट्टी उद्योग	खुर्जा (यू.पी.)	5000
14	पीतल उद्योग	मुरादाबाद (यू.पी.)	24000

रत्न उद्योग में बाल श्रमिकों का विस्तार

नीरा बुर्रा के अनुसार– "जयपुर में रत्न उद्योग में लगभग 60000 व्यक्ति कार्यरत है, जिनमें से लगभग 51000 मुस्लिम समुदाय से है एवं 9000 हिन्दू समुदाय से हैं। हिन्दुओं में अधिकांशतः मारवाड़ी व गुजराती है। जयपुर के रत्न उद्योग में बाल श्रमिकों का बाहुल्य है। इस उद्योग में अनुमानतः 13600 बाल श्रमिक कार्यरत हैं।"

गुरूपद स्वामी कमेटी की रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन चाइल्ड लेबर 1979) के अनुसार लगभग 10000 बच्चे जयपुर के रत्न उद्योग में कार्यरत है।

टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई की डॉ0 उषा नायडू ने 1989 में इस उद्योग में 15000 बच्चों को कार्यरत बताया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेन्ट स्टडीज जयपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 में इस उद्योग में लगभग 20000 बच्चे कार्यरत थे।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बाल श्रम की समस्या, प्रकृति तथा विस्तार का अध्ययन।
2. जयपुर के रत्न–उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिकों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन।
3. रत्न–उद्योग की प्रकृति, संरचना तथा प्रक्रियाओं को जानना एवं इस उद्योग में बच्चों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रकृति, उनकी कार्यदशाओं तथा इस उद्योग में उनके भविष्य का पता लगाना।

4. उन परिस्थितियों, कारकों एवं अभिप्रेरकों का विश्लेषण करना, जिनके प्रभाव में इन बाल श्रमिकों ने रत्न व्यवसाय में प्रवेश किया।
5. रत्न उद्योग में कार्य करने से बाल श्रमिकों पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य प्रभावों को जानना।
6. रत्न–उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए राजकीय/अराजकीय संगठनोंकी भूमिका को जानना।

प्राक्कल्पना

1. परिवार की कमजोर आर्थिकस्थिति, अशिक्षा व बेरोजगारी एवं बाल–श्रम में परस्पर सहसम्बन्ध है।
2. जिन परिवारों में माता–पिता एवं निकट संबंधी स्वयं इस उद्योग में कार्यरत है एवं जिनका यह एक पारिवारिक उद्योग है, उन्हीं परिवारों के बच्चे प्रायः इस उद्योग में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है।
3. जयपुर के रत्न उद्योग में धर्म व जाति विशेष एवं रत्न व्यवसाय से जुड़े बाल श्रमिकों का सहसम्बन्ध है।
4. रत्न उद्योग में बाल–श्रमिकों के कल्याण के लिए राजकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वर्तमान में चल रही योजनाएँ अपर्याप्त हैं।

अध्ययन का क्षेत्र

जयपुर का रत्न–उद्योग शहर की चारदीवारी के अन्दर मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में केन्द्रित है–

1. चौकड़ी रामचन्द्र जी एवं चौकड़ी गंगापोल
2. चौकड़ी घाट गेट एवं तोपखाना हजूरी
3. चौकड़ी विश्वेश्वर जी

प्रस्तुत अध्ययन में प्रमुखतः निम्न क्षेत्रों से बाल श्रमिकों का चयन किया गया है

1. घाटगेट चौकड़ी
   (रामगंज, बाबू का टीला, मीठी कोठी, पहाड़गंज, काजी का नला)
2. सूरजपोल क्षेत्र (नागतलाई)
3. चार दरवाजा क्षेत्र, गंगापोल क्षेत्र
4. बासबदनपुरा क्षेत्र
5. वन विहार कालोनी, दिल्ली बाई पास रोड़
6. जलमहल क्षेत्र, दरवेश नगर, आमेर रोड़

प्रतिदर्श का चयन

समाज विज्ञान में सामाजिक घटनाओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः शोध कार्य में निदर्शन का चुनाव करना अनिवार्य है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु पुरे जयपुर शहर में रत्न उद्योग में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को ढूंढना और उनका अध्ययन करना संभव नहीं था। अतः जयपुर शहर की चारदीवारी में बालश्रम बाहुल्य क्षेत्र को चुना एवं वहाँ कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित कर वहाँ बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या मालूम करके उन्हीं के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों से बाल श्रमिकों का चयन किया गया।

प्रतिदर्श का चयन निदर्शन की सुविधाजनक निदर्शन पद्वतिके आधार पर आयु (Age), लिंग(Sex) एवं धर्म(Religion)चरों को आधार मानते हुए किया गया। जयपुर के रत्न उद्योग में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर लगभग पन्द्रह हजार बाल श्रमिक कार्यरत है। चूँकि रत्न व्यवसाय गृह आधारित उद्योग है और एक ही परिवार के एक से अधिक बच्चे भी इस कार्य में संलग्न है। अतः हमने बाल श्रम बाहुल्य इलाके के अनुमानित 1500 परिवारों में से दस प्रतिशत अर्थात 150 परिवारों का चयन कर प्रत्येक परिवार से एक बच्चे को लेते हुए कुल 150 बाल श्रमिकों को प्रतिदर्श हेतु चुना।

रत्न उद्योग में कार्य करने से बाल श्रमिकों पर प्रभाव

रत्न उद्योग में अपने नाजुक एवं कोमल शरीर से अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लगातार कई घण्टों तक कार्य करने से बच्चों के तन–मन दोनों के विकास पर कई प्रकार के प्रभाव देखें गये।

इस उद्योग में अधिकाँश बच्चों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है, जिससे बच्चों को 6 से 8 घण्टों तक निरन्तर एकाग्रचित व बैठकर कार्य करना पड़ता है। अध्ययन से प्राप्त आँकड़े बताते हैं कि लगभग 46 प्रतिशत बाल श्रमिक के हाथों/अंगुलियों में जख्म है, क्योंकि इनके कार्य की प्रकृति इसी प्रकार की है कि सान (Disk) पर उन्हें चोट लगती रहती है। पत्थरों को केमिकल्स विभिन्न ऑक्साइड के पानी में डुबोया जाता है, इससे इनमें हाथ/अंगुलियों को बार–बार डालने से इनके घाव बिगड़ जाते हैं। 21 प्रतिशत बच्चों में त्वचा रोग है। लगातार एक ही स्थिति में बैठने से बच्चों के हड्डियों/जोड़ों में दर्द की शिकायत है, छोटे–छोटे नगीनों को ध्यान से लगातार देखते रहने से बच्चों ने आँखों पर प्रभाव की शिकायत भी है। इसके अतिरिक्त आराम न मिलने, कुपोषण, अस्वास्थ्यकर एवं घुटन भरे वातावरण में कार्य करने के कारण, बच्चे कमजोर/अस्वस्थ लगते है, जिसके कारण आसानी से अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते है। साथ ही बाल श्रम के कारण बच्चे खेलकूद, मनोरंजन के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। इससे शरीर और मस्तिष्क के स्वास्थ्यप्रद व्यायाम के अभाव में बच्चों का शारीरिक विकास भी अवरूद्ध हो जाता है।

अपरिपक्वता की स्थिति में ही वयस्क चेतना व जीवन–पद्धति के विकास के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। उनको कार्यस्थल पर कनिष्ठ माना जाता है और घर पर वयस्कों का सा व्यवहार मिलता है, क्योंकि वे कमाई करने लगते हैं। कार्य से वे कई प्रकार के तनाव महसूस करते हैं। ऐसा प्रतिदर्श के सभी बाल श्रमिकों का जवाब था। तनाव का कारण जानने पर पता चला कि लगभग 51 प्रतिशत बच्चे निरन्तर एक जैसा कार्य करने के कारण तनाव महसूस करते हैं।

बाल–श्रम एक सामाजिक बुराई है। अध्ययन से प्राप्त आँकड़े बताते हैं कि इससे बच्चों की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। अधिकाँश बच्चों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न है। इनको अपने कार्य स्थल के अलावा बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं है। न तो इन्हें अपने समाज की प्रथा–परम्पराओं का ज्ञान है, और न ही नियम कानुनों की जानकारी है, न ही इन्हें बाल–श्रम से संबंधित प्रतिबन्ध की जानकारी है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे पर परिवार, पड़ौस, मित्र

समूह, शिक्षण संस्था, व्यवसायिक समूह आदि का प्रभाव पड़ता है। इन बाल श्रमिकों का सामाजीकरण उस रूप में नहीं हो रहा, जिस रूप में अन्य बच्चों का होता है। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि परिवार में उनकी सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, हालाँकि उनके माता–पिता का व्यवहार बाल श्रमिकों के साथ सामान्य है। उनके साथ अन्य भाई–बहनों की अपेक्षा भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर भी ये बच्चे बचपन की गतिविधियों एवं सुविधाओं से वंचित हैं। भीड़–भाड़, घनी एवं तंग बस्ती वाला मुस्लिम बाहुल्य इलाका इन बच्चों का निवास एवं कार्य क्षेत्र है, जहाँ बच्चे तेज संगीत के शोर में एकाग्रचित होकर कार्य करते रहते हैं।

बाल–श्रम का प्रभाव सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा पर पड़ा है। गरीब, अशिक्षित माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा काम पर लगा देते है। अतः इस उद्योग में अधिकांश बच्चे अशिक्षित है एवं इन बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति निम्न है। इससे भारतीय सामाजिक संरचना में, जो वर्गों के बीच खाई है, वो और अधिक गहरी होती जा रही है।

बाल–श्रम के कारण बच्चों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव देखने से पता चलता है कि इस उद्योग में बाल श्रम का आर्थिक प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी।

सकारात्मक प्रभाव यह देखा गया कि ये बच्चें अपनी पारिवारिक आय का एक स्त्रोत हैं, जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार भी अपना भरण–पोषण कर पाते हैं एवं साथ ही गरीब माता–पिता इन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। अतः इधर–उधर घुमने, आवारागर्दी करने से अच्छा है, ये बच्चे काम पर लग जाये। इसके अतिरिक्त रत्न व्यवसाय में कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में इन बच्चों को अच्छी कमाई का रोजगार प्राप्त हो सकेगा, जिससे ये वयस्क होने पर बेरोजगारी से बच जायेंगे। बचपन से ही कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से ये बच्चे जल्दी ही कौशल का कार्य करने लगते है, जिससे अच्छी मजदूरी मिलने की संभावना भी रहती है।

नकारात्मक प्रभाव में, छोटी उम्र में ही श्रम करने से अकुशल श्रम शक्ति में वृद्धि होती है व बच्चों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल–श्रम वयस्कों की बेरोजगारी बढ़ाता है और उनकी मजदूरी दर को घटाता है, जिससे निर्धनता बनी रहती है। इससे भावी श्रम बाजार में मानव पूंजी में कमी आती है, क्योंकि बच्चा जब वयस्क हो जाता है, तो बेहतर कमाई करने के काबिल नहीं रह पाता। उत्पादकता, उन्नति की निम्नतर दर से आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल श्रम के उपयोग से केवल न्यूनतम एवं निम्न स्तर का उत्पादन ही संभव है।

शिक्षा के अभाव में ये बच्चे जिन्दगी भर श्रमिक ही बने रहते हैं। बाल–श्रमिक के कम मजदूरी पर कार्य करने से भविष्य में ये अपनी सन्तानों को भी अधिक कमाऊ नहीं बना सकते है, जिससे कुटुम्ब में आर्थिक निम्न स्तर की निरन्तरता बनी रहती है। यदि देखा जाए तो इन प्रशिक्षु बालकों को इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि यदि इन्हें श्रम शक्ति से निकालकर स्कूल भेजा जाए तो भी इनके पारिवारिक आय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बाल–श्रमिकों की समस्याओं एवं उन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं। उनमें से बाल–श्रम परियोजना को लागू करना एक है। अध्ययन के दौरान इस विषयक प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रम से संबंधित कानून का इस उद्योग में पालन नहीं हो रहा है। कारण यह है कि यह गृह आधारित उद्योग है और बच्चें परिवार के साथ ही कार्य करते है। अतः उन्हें बाल श्रमिक के रूप में कानून के तहत चिन्हित करना मुश्किल हो जाता है।

इस उद्योग में बाल श्रम परियोजना का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके तहत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इनके लिए चलाये जा रहे विशेष विद्यालयों में इन बाल श्रमिकों में से कुछ बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा से जोड़ा गया है, साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। फिर भी बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए ये परियोजनाएँ अपर्याप्त है।

शोध के निष्कर्ष

1. रत्न व्यवसाय में कार्यरत बाल श्रमिकों में लगभग 79 प्रतिशत बालक है एवं 21 प्रतिशत बालिकाएँ है। सर्वाधिक बाल श्रमिक 56 प्रतिशत 12–14 वर्ष की आयु समूह के है। इस व्यवसाय में लगभग 95 प्रतिशत मुस्लिम बाल श्रमिक है। रत्न व्यवसाय का अधिकांश कार्य मुस्लिम मौहल्लों में घरों में या घर में बनी दुकानों, बरामदों में होता है।
2. बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा है। लगभग 62 प्रतिशत बच्चे अशिक्षित है एवं जो शिक्षित है, उन्होंने भी केवल प्राथमिक/मिडिल स्तर की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया है। लगभग आधे से ज्यादा बच्चों ने कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ी है।
3. पारिवारिक जानकारी के आधार पर प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि लगभग 68 प्रतिशत बाल श्रमिकों के माता–पिता परम्परागत रत्न व्यवसाय से जुड़े है। 32 प्रतिशत अन्य कार्य करते है।
4. रत्न व्यवसाय में कार्यरत बाल श्रमिकों का शोषण इस रूप में देखने को मिलता है कि लगातार कई घण्टों कार्य करने पर भी उन्हें प्रशिक्षु के नाम पर नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है।
5. लगभग 95 प्रतिशत बच्चों को बाल श्रम संबंधी सरकारी प्रतिबन्ध के बारे में जानकारी नहीं है। लगभग 78 प्रतिशत बाल श्रमिकों को सरकारी/स्वयं सेवी संस्था से किसी भी प्रकार की कोई सहायता/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। मात्र 22 प्रतिशत बच्चों को इनके लिए चलाये जा रहे विशेष विद्यालयों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है।
6. विशेष विद्यालयों के बारे में पूछा गया तो केवल 45 प्रतिशत बच्चों को ही इस विषयक जानकारी हैं।
7. शोध के दौरान बच्चों से उनके जाति प्रतिबन्ध, विवाह प्रथा के बारे में जानकारी चाही तो बच्चों ने इस

विषयक कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। पर्दा प्रथा के बारे में बताया कि मुस्लिम धर्म में पर्दा होता है, लेकिन छोटी लड़कियाँ पर्दा नहीं करती हैं। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर बच्चों की आकांक्षा उनके आस–पास घुमती हुई नजर आती है। अधिकाँश बच्चे अपने उस्ताद/मालिक की तरह अपना वर्कशॉप खोलना चाहते हैं।

8. बच्चों को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर बहुत ही कम जानकारी हैं।3.अधिकाँश बच्चों को फिल्मों के नाम, अभिनेता, अभिनेत्री के नाम पता है। अधिकाँश बच्चों ने अपना आदर्श अपने मालिक/उस्ताद को बताया, कुछ ने अपने माता–पिता, टीचर्स को भी अपना आदर्श बताया हैं।
9. आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर रत्न उद्योग में कार्यरत बच्चों के काम करने के कई कारक/अभिप्रेरक सामने आए। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, पारिवारिक परम्परागत गृह उद्योग होना, इस कार्य में बच्चों के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता न होना, मुस्लिम समुदाय में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होना, माता–पिता की अशिक्षा व अज्ञानता, बाल श्रमिकों का सस्ती दर पर उपलब्ध होना एवं परिवार के वयस्क सदस्यों में व्याप्त निम्न स्तर के रोजगार व बेरोजगारी इस उद्योग में बाल श्रम को बनाए रखने में प्रमुख अभिप्रेरक (कारक) है।
10. लगभग 95 प्रतिशत बच्चे इस उद्योग में ऐसे कार्यों में लगे है, जैसे – घाट बनाना (Shaping), जिलाह (Polishing), बिन्दाई, छँटाई आदि, जिनमें विशेष कौशल एवं चातुर्य की आवश्यकता नहीं होती हैं। लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को इस कार्य में लगे लगभग 2 वर्ष का समय हुआ है अर्थात् अधिकांश बच्चे प्रशिक्षु के रूप में इस उद्योग में कार्य कर रहे है।
11. कार्यरत बच्चों में लगभग 62 प्रतिशत बाल श्रमिक 6 से 8 घण्टे के लगभग काम करते है एवं 15 प्रतिशत बच्चे 2–4 घण्टे काम करते है। इन बच्चों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। लगभग 30 प्रतिशत बच्चों को 100–150 रूपये महिने मजदूरी केवल पॉकेट मनी के रूप में दी जाती है। 27 प्रतिशत बच्चों को 150–300 रूपये महिना मजदूरी दी जाती है।
12. यह उद्योग अधिकांशतः गृह आधारित इकाइयों में होता है। अतः बाल श्रमिकों का सीधा सम्पर्क उस्ताद/मालिक से नहीं होता। लगभग 58 प्रतिशत बाल श्रमिक अपने कार्य से संतुष्ट है एवं 52 प्रतिशत बच्चे भविष्य में इसी कार्य को करना पसन्द करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य में आगे चलकर यह व्यवसाय उनके लिए अच्छी कमाई का जरिया रहेगा।

    बाल श्रम के कारण बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अध्ययन के दौरान देखी गयी। प्राप्त आँकड़े बताते है कि लगभग 46 प्रतिशत बच्चों के हाथों/अंगुलियों में जख्म पाये गये। लगभग 21 प्रतिशत बच्चे त्वचा रोग से पीड़ित है। 15 प्रतिशत बच्चों ने जोड़ों में दर्द की शिकायत बताई एवं 17 प्रतिशत बच्चों ने छोटे–छोटे नगीनों पर लगातार नजर रखने से आँखों पर प्रभाव बताया। अधिकांश बाल श्रमिक कुपोषण के कारण कमजोर एवं अस्वस्थ लगते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 *आहूजा डा. राम "सामाजिक समस्याएं", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000*
2 *बुर्श, नीरा, "बॉर्न टू वर्कः चाइल्ड नेबर इन इण्डिया", नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः 1995*
3 *दीक्षित ध्रुव कुमार, "बाल श्रम उन्मूलनः एक चुनौती", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002*
4 *घोष, रूमा व सिंह निखिल राज, "सुकुमार अवस्था में कठोर श्रम", वी.वी. गिरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, 2000*
5 *कुलश्रेष्ठ, जे.सी. "चाइल्ड लेबर इन इण्डिया", नई दिल्लीः एशिया पब्लिकेशन हाउस, 1978*
6 *कुमारी मंजु, "बाल अपराध", प्रिन्टवैल, जयपुर, 1994*
7 *माथुर, के., "चाइल्ड लेबर जैम पब्लिशिंग इण्डस्ट्रीज ऑफ जयपुर", जयपुर इन्स्टीटयूट ऑफ डवलपमेन्ट स्टडीज, 1991*
8 *पत्ती, आर.एन., "रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इण्डिया", नई दिल्लीः आशीष पब्लिशर्स, 1991*
9 *शर्मा, सुभाष, "भारत में बाल मजदूर", नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान, 1997*
10 *सत्यार्थी, कैलाश, "ब्रेक दी चेन्स दी चाइल्डहुड", नई दिल्लीः साउथ एशिया कॉलिएशन 2014*